

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान-	में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव
	I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	II	जिला	सोनभद्र
	III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
	IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	115.874 हे0
	V	वन की कानूनी स्थिति	धारा-20 (आरक्षित वन)
	VI	हरियाली का घनत्व	0.30
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर संलग्न की जाए	संलग्न है
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रश्नगत क्षेत्र पर जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय निर्माण व कार्यालय पूर्व से स्थापित है, अतः भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
	IX	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी-	शून्य
	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है

9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	प्रश्नगत क्षेत्र वर्ष 2007 में धारा 4 से पृथक होकर धारा 20 के नोटिफिकेशन से बाहर हो गया था। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.2016 से पुनः वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित हुआ। मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश के बाद कोई गैर वानिकी/निर्माण कार्य नहीं हुआ है।
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
	II	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	536.86 लाख
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए)	संलग्न है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषयतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है
12.		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	68 मामले/661.131हे0
	IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	842.754हे0
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
	ख	वनेतर भूमि पर	—
	V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वन भूमि पर	842.754हे0
	ख	वनेतर भूमि पर	—
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	मा0 एन0जी0टी न्यायालय के आदेश दिनांक-30.05.2016 के क्रम में भूमि हस्तान्तरण की संरक्षित सहित अग्रसारित।

तिथि 22-09-2018

स्थान Obra

हस्ताक्षर
नाम प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी मोहर प्रभाग
ओबरा सोनमद